e-paper
सांध्य संस्करण
वर्ष : 1, अंक : 11, पृष्ठ : 2
बुधवार, 9 सितंबर, 2026

अमृत उजाला
Digital News Paper

Scan to Read in Details

amritujala.com

उत्तर प्रदेश देश दुनिया व्यापार मनोरंजन लखनऊ

चेहरा नया, पहचान वही!

प्रिय पाठकों,

अमृत उजाला के इस नए मास्टहेड के साथ हम एक नई दृश्य पहचान की शुरुआत कर रहे हैं। रूप बदला है, पर हमारी पत्रकारिता के मूल स्तंभ आज भी वही हैं – सच्चाई, निष्पक्षता और विश्वसनीयता।

समय के साथ पहचान का निखरना स्वाभाविक है, और यह बदलाव उसी निरंतर यात्रा की एक कड़ी है – एक ऐसी यात्रा, जो हमने आपके साथ मिलकर तय की है, और जिसमें हम खबरों को आप तक और तेज़, और स्पष्ट, और अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचाने के लिए हर दिन खुद को निखारते रहेंगे। इतने थोड़े समय में आपने जो अपनापन और भरोसा हमें दिया है, वही हमारी असली पूँजी है। आपके इसी साथ ने हमें हर कदम पर हौसला दिया है, और आगे भी यही रिश्ता हमें प्रेरित करता रहेगा कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें।

नई पहचान, वही विश्वास।
नई प्रस्तुति, वही पत्रकारिता।

सादर,
प्रधान संपादक
अमृत उजाला

सीजेपी प्रदर्शन में शामिल छात्र को नोटिस देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सीजेआई बोले- 'मजिस्ट्रेट ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की?'

एजेंसी

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी के छात्र प्रदर्शन में शामिल होने वाले गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के छात्र को नोटिस जारी किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ी नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल उठाया कि जब अदालत पहले ही छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई पर रोक लगा चुकी थी, तो ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने नोटिस कैसे जारी कर दिया। मामला गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दूसरे वर्ष के छात्र अक्षत त्रिपाठी से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 4 सितंबर को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ओर से छात्र को बीएनएसएस की धारा 130 के तहत नोटिस जारी किया गया था। इसमें पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाया गया कि छात्र अन्य विद्यार्थियों को सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा था और इससे शांति भंग होने की आशंका है। नोटिस में छात्र से 5 लाख रुपये का निजी मुचलका और 5 लाख रुपये के दो जमानती मुचलके देने को कहा गया था। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने नोटिस वापस ले लिया। हालांकि, इस कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस जारी किया जाना अदालत के आदेश की अवहेलना का सवाल खड़ा करता है। अदालत ने संबंधित प्रशासन से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटिस को आधिकारिक रिकॉर्ड पर लाया जाए, ताकि पूरे मामले की जांच की जा सके। अदालत के सामने यह भी बताया गया कि नोटिस बाद में वापस ले लिया गया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि केवल नोटिस वापस लेने से अदालत के आदेश के कथित उल्लंघन का सवाल अपने आप खत्म नहीं हो जाता। इस मामले ने छात्रों के प्रदर्शन के अधिकार, प्रशासनिक कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन को लेकर एक बार फिर महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं।

राहुल गांधी पर मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने सब बराबर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन दाखिल करने को कहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने भरोसा दिया कि आवेदन मिलने के बाद उस पर विचार किया जाएगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया पेश हुए।

गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों के प्रदर्शन के बीच दरोगा का वीडियो वायरल

बोले- 'इतनी फोर्स मंगाऊंगा कि ठंडा कर दूंगा'

अमृत उजाला संवाददाता

गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। इसी बीच एक दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सख्त लहजे में चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में दरोगा कथित तौर पर कहते सुनाई दे रहे हैं, 'इतनी फोर्स मंगाऊंगा कि ठंडा कर दूंगा... ये गोरखपुर पुलिस है।' मंगलवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के दोनों मुख्य गेटों पर ताला लगा दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय के अधिकारी छात्रों से बातचीत करने और गेट खुलवाने पहुंचे। इसी दौरान छात्रों और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच कहासुनी और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। अधिकारियों के मुताबिक, स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की मदद से उन्हें वहां से बाहर निकाला गया।

25 अगस्त से चल रहा है छात्रों का धरना

विश्वविद्यालय के छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 25 अगस्त से प्रशासनिक भवन के सामने धरने पर बैठे हैं। मांगों पर सुनवाई न होने के बाद कुछ छात्रों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी थी। छात्रों की प्रमुख मांगों में निष्कासित छात्रों की कार्रवाई वापस लेना, छात्रसंघ चुनाव कराना, परीक्षा और डिग्री से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच तथा छात्रावासों की सुविधाओं में सुधार समेत कई मुद्दे शामिल हैं।

एनसीआर की तर्ज पर बनने वाले एससीआर का पहला पड़ाव पार, बेस मैप को मिली मंजूरी

अमृत उजाला संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर विकसित किए जा रहे उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन ने अपना पहला बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में UPSCR के बेस मैप को मंजूरी दे दी गई। अब इसे अंतिम अनुमोदन के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखा जाएगा। इसके बाद रीजनल प्लान तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। UPSCR में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली को शामिल किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र का कुल विस्तार करीब 26,741 वर्ग किलोमीटर है। इसका उद्देश्य इन जिलों का एकीकृत और सुनियोजित विकास करते हुए कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और आर्थिक गतिविधियों को गति देना है। UPSCR की GIS आधारित क्षेत्रीय महायोजना के तहत परिवहन, मोबिलिटी, अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन से जुड़ी करीब 30 परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं। इनमें क्षेत्रीय सड़कों का विकास, एलिवेटेड पेरिफेरल रोड, सड़क उन्नयन, ट्रांसपोर्ट नगर, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर और मेट्रो नेटवर्क जैसी योजनाएं शामिल हैं। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक पार्क, फूड पार्क और लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे कॉरिडोर ओरिएंटेड डेवलपमेंट जैसी परियोजनाओं पर भी जोर दिया जाएगा। बेस मैप की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए छहों जिलों में 2,239 स्थानों पर ग्राउंड ट्रूथिंग यानी स्थलीय सत्यापन कराया गया। इस दौरान सैटेलाइट इमेज और नक्शों से मिले आंकड़ों का मौके पर जाकर मिलान किया गया। बेस मैप तैयार करने से पहले विकास प्राधिकरणों, राजस्व, PWD, रेलवे, वन, नगर निगम और सिंचाई समेत 22 विभागों व संस्थाओं से भी राय ली गई और सभी ने सहमति दी।

निवेश और रोजगार को मिलेगी रफ्तार

अधिकारियों के मुताबिक, PSCR के जरिए क्षेत्र में निवेश बढ़ने के साथ रोजगार और कारोबार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। जिलों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और गांवों तक शहरी सुविधाएं पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। बेस मैप की मंजूरी के बाद अब अगला महत्वपूर्ण चरण रीजनल प्लान तैयार करना है। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इसी प्लान के आधार पर आने वाले वर्षों में छह जिलों के सुनियोजित विकास और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जाएगा।

जनसेवा में मोदी के 25 साल

बीजेपी का महीने भर चलेगा 'सेवा संकल्प अभियान', वाराणसी में भी तैयारियां तेज

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी देशभर में एक महीने का 'सेवा संकल्प अभियान' चलाने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सार्वजनिक पद की जिम्मेदारी संभाली थी। इस यात्रा के 25 वर्ष 7 अक्टूबर 2026 को पूरे होंगे। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से होगी और यह 17 अक्टूबर तक चलेगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में अभियान की रूपरेखा जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की जनसेवा और समर्पण की यात्रा लगातार जारी है। अभियान का उद्देश्य उनकी 25 वर्षों की सेवा यात्रा, सुशासन और जनकल्याणकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने के साथ लोगों को सेवा और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत 13 प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। इनमें 'आशीर्वाद का दीया', '25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत', 'नमो सेवा गाथा', 'आंगन का उत्सव', 'कहानी बदलाव की', 'विकसित भारत संकल्प यात्रा', 'सेवा ज्योति यात्रा', 'वडनगर से वाराणसी', 'सेवा मेरा योगदान', 'सेवा सेतु अभियान', 'रंगोली राष्ट्र', 'राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज' और 'जनसेवा महाकुंभ' शामिल हैं। 'सेवा सेतु अभियान' के तहत सरकारी योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। वहीं 'सेवा मेरा योगदान' के माध्यम से युवाओं और आम नागरिकों को स्वच्छता, वृक्षारोपण और अन्य जनसेवा गतिविधियों से जोड़ने पर जोर रहेगा। बीजेपी का कहना है कि 'सेवा संकल्प अभियान' केवल प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन को याद करने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकसित भारत के संकल्प को जनभागीदारी से आगे बढ़ाने का अभियान है।

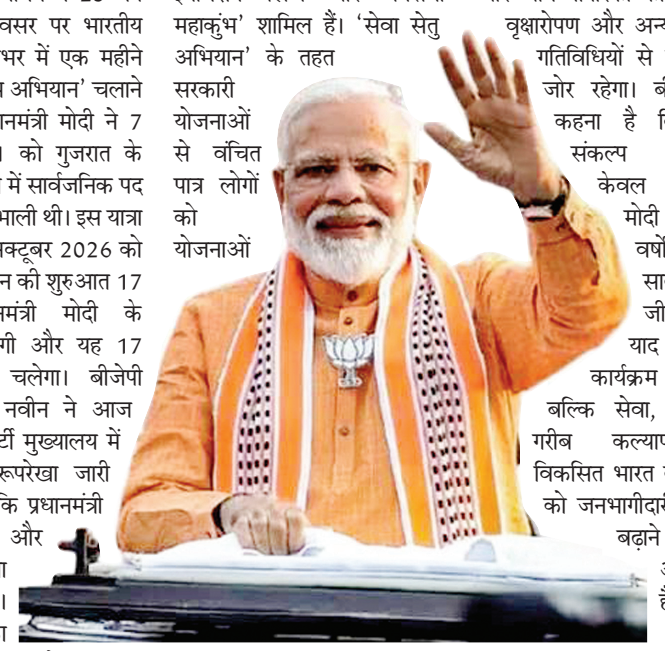

वाराणसी में भी अभियान को लेकर तैयारियां

प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी 'सेवा संकल्प अभियान' को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। काशी क्षेत्र और वाराणसी महानगर संगठन की बैठकों में अभियान के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वाराणसी में अभियान के दौरान लाभार्थी परिवारों से संपर्क, सेवा गतिविधियां, युवाओं के लिए प्रतियोगिताएं और प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारी है। अभियान का एक प्रमुख आकर्षण 'वडनगर से वाराणसी' सेवा यात्रा होगी। प्रधानमंत्री की जन्मभूमि वडनगर और उनकी कर्मभूमि वाराणसी को जोड़ते हुए विशेष यात्राएं निकाली जाएंगी। इन यात्राओं के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जनसंवाद और सेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

प्रशासक बने ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को बड़ी राहत, शासन ने जारी की नई गाइडलाइन

अमृत उजाला संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव न होने के कारण प्रशासक बनाए गए निवर्तमान ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को शासन ने बड़ी राहत दी है। पंचायती राज विभाग ने इनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इससे ब्लॉकों और जिला पंचायतों में रुके हुए पुराने कार्यों के भुगतान और जरूरी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

नई गाइडलाइन के मुताबिक, प्रशासक बनाए जाने से पहले स्वीकृत और कराए गए निर्माण एवं अन्य कार्यों का भौतिक और तकनीकी सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के बाद इन कार्यों का भुगतान पहले की व्यवस्था के अनुसार किया जा सकेगा। वहीं ब्लॉक और जिला पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन समेत नियमित कार्यों का निस्तारण भी प्रशासक कर सकेंगे। इससे लंबे समय से लंबित फाइलों और भुगतान के मामलों में तेजी आने की उम्मीद है। प्रशासक बनाए जाने से पहले बोर्ड द्वारा स्वीकृत ऐसे कार्य, जिनकी निविदा या निर्माण प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी, उन्हें भी आगे बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए जिलाधिकारी की मंजूरी लेना जरूरी होगा। नीति, नियम, न्यायालय के आदेश या किसी अन्य जरूरी आदेश से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य भी डीएम की अनुमति के बाद ही कराए जा सकेंगे।

सामान्य शासकीय बैठक पर रोक

नई क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के गठन तक प्रशासक के रूप में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष सामान्य शासकीय या विभागीय बैठकें आयोजित नहीं कर सकेंगे। हालांकि योजनाओं की प्रगति और निगरानी से जुड़ी बैठकें निर्धारित नियमों के तहत की जा सकेंगी। जिला पंचायत अध्यक्षों को महत्वपूर्ण मामलों में मंडलायुक्त से अनुमति लेनी होगी, जबकि ब्लॉक प्रमुखों के लिए जिलाधिकारी की अनुमति जरूरी होगी।

दोषी पाए गए प्रमुखों के स्थान पर एसडीएम होंगे प्रशासक

जिन निवर्तमान ब्लॉक प्रमुखों के खिलाफ किसी मामले में कार्रवाई हुई है या जो जांच में दोषी पाए गए हैं, वहां उनके स्थान पर उप जिलाधिकारी (SDM) को प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी दी जा सकती है। सरकार की नई गाइडलाइन से पंचायतों में नियमित कामकाज के साथ पहले से स्वीकृत विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और लंबित भुगतान निपटाने में तेजी आने की उम्मीद है।

दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव राकेश मेहता का निधन

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव और 1975 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी राकेश मेहता का नोएडा स्थित आवास में निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। रविवार, 6 सितंबर को उनका शव सेक्टर-82 स्थित केंद्रीय विहार-2 सोसाइटी के फ्लैट से बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फेस-2 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार, डायल-112 के जरिए सूचना मिली थी कि राकेश मेहता ने अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की। फॉरेंसिक और फील्ड यूनिट की टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस को घटनास्थल से एक कथित सुसाइड नोट मिलने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि उसमें मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का उल्लेख था। हालांकि, पुलिस ने मामले को लेकर जांच जारी रखी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराने के बाद उसे परिवार को सौंप दिया। इसके बाद सोमवार को दिल्ली के लोधी श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राकेश मेहता दिल्ली प्रशासन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके थे। वह 2007 से 2010 तक दिल्ली के मुख्य सचिव रहे।

सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली सरकार सख्त, अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए हादसे के बाद राजधानी में अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को अवैध निर्माण और नियमों का उल्लंघन कर संचालित किए जा रहे पीजी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए हैं। सरकार यह पता लगाने में जुटी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले पीजी और निर्माण को किस स्तर पर अनुमति मिली तथा संबंधित अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। सीएम के निर्देश के बाद ऐसे भवनों और परिसरों की जांच की जाएगी, जहां बिना अनुमति निर्माण, अवैध रूप से किए गए बदलाव या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है। जांच में अनियमितता मिलने पर संबंधित निर्माण को हटाने के साथ बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का कहना है कि राजधानी में लोगों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। अवैध निर्माण को संरक्षण देने या अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक दिल्ली के सभी पीजी और हॉस्टल की जांच की जाएगी। अवैध निर्माण मिलने पर कार्रवाई होगी। एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों को खुद मौके पर मौजूद रहकर कार्रवाई की निगरानी करने को कहा गया है। सरकार का फोकस इस बात पर भी है कि अवैध निर्माण कब हुआ और उस समय संबंधित क्षेत्र किस अधिकारी या प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बिल्डिंग रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश दिए हैं। इसमें यह देखा जाएगा कि संबंधित इमारत में अवैध निर्माण किस वर्ष हुआ और उस दौरान किसके अधिकार क्षेत्र में क्षेत्र आता था। इस कवायद का उद्देश्य अवैध निर्माण की समयावधि और उससे जुड़ी जिम्मेदारी का पता लगाना है।

सत्य निकेतन हादसे ने बढ़ाई चिंता

यह कार्रवाई दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में पीजी भवन गिरने की घटना के बाद हो रही है। छह सितंबर को पांच मंजिला पीजी भवन ढह गया था। हादसे में सात लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। हादसे के बाद सामने आई शुरुआती जांच में इमारत में अतिरिक्त निर्माण, बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर बिना अनुमति मरम्मत तथा सुरक्षा जांच में खामियों जैसे पहलुओं की जांच की जा रही है।

हादसे के बाद सीलिंग की कार्रवाई

सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी ने चार मंजिल से ऊपर के अवैध निर्माण को सील करने की कार्रवाई का आदेश दिया था। आसपास की इमारतों की स्थिति की भी जांच की गई। हादसे को लेकर बिल्डिंग मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई और मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए थे।

पीजी सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था प्रस्तावित

हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने निजी हॉस्टल और पीजी को विनियमित करने के लिए कानून का मसौदा भी तैयार किया है। प्रस्तावित व्यवस्था में पीजी के लिए लाइसेंस, पुलिस क्लीयरेंस, स्ट्रक्चरल और फायर सेफ्टी से जुड़े प्रमाणपत्र तथा सार्वजनिक पोर्टल पर पंजीकरण जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब मुख्यमंत्री के ताजा निर्देशों के तहत दिल्ली में अवैध निर्माण और पीजी-हॉस्टल की स्थिति की जांच को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी है।

डिजिटल प्रभाव.....

विरासत वसीयत से नहीं, संस्कार से चलती है

करोड़ों की विरासत छोड़ना आसान है, लेकिन उसे संभालने वाली पीढ़ी तैयार करना कठिन। माता-पिता पूरी जिंदगी बच्चों के लिए घर, जमीन, कारोबार, निवेश और बैंक बैलेंस बनाते हैं। पर इस दौड़ में एक जरूरी सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है–क्या हमने बच्चों को वह सब संभालने की समझ भी दी है, जो हम उनके लिए छोड़कर जा रहे हैं? वसीयत यह तय कर सकती है कि संपत्ति किसे मिलेगी, लेकिन यह तय नहीं कर सकती कि मिलने के बाद उसका क्या होगा। यहीं से विरासत की असली परीक्षा शुरू होती है। भारत की अर्थव्यवस्था में पारिवारिक व्यवसायों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनेक परिवारों ने एक पीढ़ी में शून्य से कारोबार खड़े किए, दूसरी पीढ़ी ने उन्हें विस्तार दिया और तीसरी पीढ़ी तक पहुँचते-पहुँचते कई साम्राज्य कमजोर पड़ गए। वैश्विक अनुभव भी यही संकेत देता है कि एक पीढ़ी से दूसरी और फिर तीसरी पीढ़ी तक पहुँचते-पहुँचते पारिवारिक कारोबारों के टिके रहने की संभावना तेजी से घटती है। समस्या हमेशा बाजार, मंदी या प्रतिस्पर्धा नहीं होती। कई बार समस्या परिवार के भीतर ही होती है। पहली पीढ़ी धन बनाती है, दूसरी उसे संभालती है और तीसरी को अक्सर यह भी नहीं पता होता कि उसे बचाना कैसे है। क्योंकि हमने बच्चों को संपत्ति का अधिकार तो दिया, लेकिन संपत्ति की जिम्मेदारी नहीं सिखाई। उन्हें कारोबार का मुनाफा बताया, उसे बनाने की मेहनत नहीं। जमीन की कीमत बताई, उसकी उपयोगिता और जिम्मेदारी नहीं। निवेश का लाभ बताया, उसका जोखिम नहीं। सुविधाएँ दीं, लेकिन आर्थिक निर्णय लेने का अनुशासन नहीं दिया। यही धन और संस्कार के बीच का अंतर है। सबसे बड़ा भ्रम है– 'बच्चे सब संभाल लेंगे। 'भरोसा अच्छी बात है, लेकिन भरोसा तैयारी का विकल्प नहीं हो सकता। किसी बच्चे को अचानक करोड़ों की संपत्ति सौंप देना और उससे विवेकपूर्ण प्रबंधन की उम्मीद करना ऐसा ही है जैसे किसी को विमान सौंपकर कहना कि अब उड़ाना सीख लेना। उत्तराधिकारी तैयार करना वर्षों की प्रक्रिया है। उसे परिवार की आर्थिक वास्तविकता से परिचित कराना होगा। आय, व्यय, बचत, निवेश, बीमा, ऋण और जोखिम का अर्थ समझाना होगा। छोटे आर्थिक निर्णय लेने होंगे, गलतियाँ करने देनी होंगी और उन्हीं से सीखने का अवसर देना होगा। विरासत पाने से पहले विरासत संभालने का अभ्यास जरूरी है। वसीयत बनाना आवश्यक है, लेकिन उसे पूरी विरासत-योजना मान लेना भूल है। वसीयत संपत्ति के उत्तराधिकार को स्पष्ट करती है; वह उत्तराधिकारी की क्षमता नहीं बनाती। इसलिए बड़े परिवार संपत्ति संरक्षण के लिए वसीयत के साथ ट्रस्ट, उत्तराधिकार योजना, पारिवारिक शासन और स्पष्ट जिम्मेदारियों जैसे उपाय अपनाते हैं। लेकिन अंततः कानूनी ढाँचे की भी सीमा है। कागज संपत्ति की रक्षा कर सकता है, चरित्र उसके उपयोग की। हमारे घरों में धन की बातचीत अक्सर असहज मानी जाती है। माता-पिता कहते हैं– 'तुम्हें इन सबकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही सोच भविष्य में समस्या बन सकती है। बच्चों को उम्र के अनुसार यह समझना चाहिए कि परिवार की आर्थिक व्यवस्था कैसे चलती है। कौन-सी संपत्ति है, कौन-सी देनदारी है, बीमा क्यों है, निवेश कहाँ है और आर्थिक निर्णय किन सिद्धांतों पर लिए जाते हैं। हर महीने परिवार की एक छोटी वित्तीय बैठक इस दिशा में बड़ा बदलाव ला सकती है– कितनी आय हुई, कहाँ खर्च हुआ, कितना बचा, कहाँ निवेश हुआ और किन जोखिमों से बचना है। ऐसी बातचीत बच्चे को केवल वित्तीय जानकारी नहीं देती, बल्कि उसे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी का हिस्सा बनाती है। आज बैंक खाता खोलना, डिजिटल भुगतान करना और निवेश के साधनों तक पहुँचना पहले से आसान है। लेकिन सुविधा को समझ समझ लेना खतरनाक भ्रम है। मोबाइल से भुगतान करना वित्तीय साक्षरता नहीं है। निवेश का साधन उपलब्ध होना निवेश की समझ नहीं है। बैंक खाता होना वित्तीय स्वतंत्रता नहीं है। वित्तीय साक्षरता तब है जब व्यक्ति ब्याज और चक्रवृद्धि को समझे, जोखिम और लाभ का संबंध जाने, बीमा और निवेश में अंतर पहचाने, ऋण की वास्तविक लागत समझे और डिजिटल धोखाधड़ी से सावधान रहे। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण–अनुशासन। कितना कमाना है, यह कौशल है। कितना बचाना है, यह आदत है। कहाँ लगाना है, यह समझ है और कब खर्च नहीं करना है, यह अनुशासन है। बच्चों को छोटी उम्र से ही अपने पैसे का प्रबंधन करने दीजिए। बचत का लक्ष्य दीजिए। सीमित बजट में निर्णय लेने दीजिए। किसी इच्छा के लिए प्रतीक्षा करना सिखाइए। चक्रवृद्धि का अर्थ छोटे उदाहरणों से समझाइए। और सबसे जरूरी–उन्हें श्रम से जोड़िए। जिस बच्चे ने परिवार के कारोबार की कठिनाई नहीं देखी, वह उसका मूल्य केवल धन से समझेगा। जिसने खेती की मेहनत नहीं देखी, उसके लिए जमीन केवल संपत्ति होगी। जिसने कमाई और खर्च का संघर्ष नहीं समझा, उसके लिए पैसा केवल उपलब्ध संसाधन बन सकता है। इसलिए बच्चों को सुविधाएँ दीजिए, लेकिन संघर्ष से पूरी तरह दूर मत रखिए। हमें बच्चों से यह कहना भी बदलना होगा– 'हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है। 'इसके बजाय कहना चाहिए– 'हमने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। अब इसे समझना, सुरक्षित रखना और अगली पीढ़ी के लिए बेहतर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ' यही सोच वारिस को उत्तराधिकारी बनाती है। वारिस पूछता है– 'मुझे कितना मिला? 'उत्तराधिकारी पूछता है– 'मैं इसे कितना बेहतर बना सकता हूँ? 'अंततः विरासत केवल जमीन, मकान, कारोबार या बैंक बैलेंस नहीं है। विरासत वह दृष्टि है जिससे अगली पीढ़ी इन सबका उपयोग करती है। संपत्ति बच्चों को अमीर बना सकती है, लेकिन वित्तीय समझ, अनुशासन और संस्कार ही उन्हें संपन्न बनाते हैं। इसलिए वसीयत बनाइए, लेकिन उसके साथ उत्तराधिकारी भी तैयार कीजिए। क्योंकि सच्ची विरासत वह नहीं जो हम बच्चों के नाम छोड़ जाते हैं, सच्ची विरासत वह है जो हम बच्चों के भीतर छोड़ जाते हैं।

डॉ. दीपक गोस्वामी
मानवीय व्यवहार वैज्ञानिक
समन्वयक - आदर्श संस्कार शाला, भारत

योगी सरकार का बड़ा एक्शन!

5 तहसीलदार निलंबित, 13 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

अमृत उजाला संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लंबे समय से लंबित वादों के निस्तारण में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। शासकीय कार्यों में लापरवाही और उदासीनता के चलते प्रदेश के पांच तहसीलदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की कार्रवाई हरदोई, देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर और प्रतापगढ़ में तैनात तहसीलदारों के खिलाफ की गई है। अधिकारियों पर राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्तारण में अपेक्षित तेजी नहीं लाने और सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप है। राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण को लेकर मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ ने 29 अगस्त को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान लंबित मामलों की स्थिति, उनके निस्तारण की प्रगति और अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की गई थी। समीक्षा के बाद जिन अधिकारियों के काम में अपेक्षित सुधार या प्रगति नहीं मिली, उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।

13 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को नोटिस

पांच तहसीलदारों के निलंबन के अलावा 13 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार की इस कार्रवाई से साफ संकेत है कि राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर शासन अब किसी तरह की लापरवाही स्वीकार करने के मूड में नहीं है। अधिकारियों से समयबद्ध तरीके से मामलों के निस्तारण और शासकीय कार्यों में पूरी गंभीरता बरतने की अपेक्षा की जा रही है।

मनोरंजन.....

अली अब्बास जफर की फिल्म 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' को पूरे हुए 15 साल, फिल्मकार ने शेयर किया पोस्टर

मुंबई। फिल्ममेकर अली अब्बास जफर की साल 2011 में रिलीज हुई 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' को 15 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर अली अब्बास ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और फिल्म को खास बताया। फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए अली अब्बास जफर ने कैप्शन में लिखा, फिल्में बनाते हुए 15 साल हो गए हैं। यहीं से सब शुरू हुआ। पहली फिल्म हमेशा खास होती है। उन्होंने अपने इस पोस्ट में फिल्म से जुड़े कलाकारों को भी टैग किया। अली अब्बास जफर की बतौर निर्देशक 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' पहली फिल्म थी। फिल्म के निर्देशन के साथ उन्होंने इसकी कहानी भी लिखी थी। इससे पहले वह यशराज फिल्म्स के साथ सहायक निर्देशक के तौर पर काम कर चुके थे। 'झूम बराबर झूम', 'टशन', 'न्यूयॉर्क' और 'बदमाश कंपनी' जैसी फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें अपनी कहानी पर्दे पर उतारने का मौका मिला। अली अब्बास जफर का संबंध देहरादून से रहा है और फिल्म की कहानी का एक हिस्सा भी इसी शहर से जुड़ा था। फिल्म की कहानी कुश अग्निहोत्री के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार इमरान खान ने निभाया था। कुश के बड़े भाई लव अग्निहोत्री यानी अली जफर विदेश में अपना रिश्ता खत्म करने के बाद अपने लिए एक नई दुल्हन की तलाश की जिम्मेदारी छोटे भाई को सौंपते हैं। कुश अपने भाई के लिए लड़की तलाशते हुए अलग-अलग जगहों पर जाता है, लेकिन बात नहीं बनती। इसी बीच अखबार में शादी का विज्ञापन देने के बाद उसकी मुलाकात डिंपल दीक्षित से होती है, जिसका किरदार कैटरीना कैफ ने निभाया था। डिंपल स्वभाव से बेबाक, मस्तमौला और अपनी ही धुन में रहने वाली लड़की है। कुश उसे पांच साल पहले कॉलेज के दिनों में मिल चुका होता है और अचानक उसे देखकर हैरान रह जाता है। इसके बावजूद वह अपने भाई लव और डिंपल की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाता है। डिंपल भी लव से बातचीत के बाद इस रिश्ते के लिए हां कर देती है। यहीं से कहानी में असली उलझन शुरू होती है, क्योंकि भाई के लिए दुल्हन तलाशने वाला कुश खुद उसी लड़की को दिल दे बैठता है। ऐसे में आगे क्या होता है, यही कहानी को दिलचस्प बनाता है। फिल्म में इमरान खान, कैटरीना कैफ, अली जफर और तारा डिसूजा मुख्य भूमिकाओं में थे। परिक्षित साहनी ने कुश के पिता का किरदार निभाया था, जबकि कंवलजीत सिंह डिंपल के पिता की भूमिका में नजर आए थे। जॉन अब्राहम फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में थे। 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' के गाने भी फिल्म की पहचान बने। 'धुनकी', 'मधुबाला', 'इश्क रिस्क' और 'मेरा ब्रदर की दुल्हन' जैसे गानें काफी पसंद किए गए।

18 हजार असाक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य श्रावस्ती में तेज हुआ साक्षरता अभियान

श्रावस्ती में साक्षरता दिवस पर गूंजा 'सशक्त समाज' का संदेश, उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक सम्मानित

अमृत उजाला संवाददाता

श्रावस्ती। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जिलेभर में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान रैली, पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता, कहानी-कथन और निबंध लेखन सहित कई गतिविधियों के माध्यम से लोगों को शिक्षा और साक्षरता के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। भिनगा स्थित एएनएम सेंटर में इस अवसर पर कार्यशाला और गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साक्षरता अभियान को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीएसए आकांक्षा रावत ने कहा कि

साक्षरता का मतलब केवल पढ़ना-लिखना सीखना नहीं है। शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के साथ उसे उपलब्ध अवसरों को समझने और आत्मनिर्भर बनने की क्षमता भी देती है। जिले में वर्ष 2026 के दौरान 18 हजार असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके मुकाबले अब तक 18,670 लोगों का उल्लास पोर्टल पर पंजीकरण किया जा चुका है। पंजीकृत लोगों को वालंटियर्स की मदद से कक्षा आधारित शिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। अभियान के तहत अधिक से अधिक असाक्षरों का पंजीकरण कराने और उन्हें शिक्षा से जोड़ने वाले शिक्षकों व शिक्षा मित्रों को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। साक्षरता अभियान में सहयोग के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक एवं राज्य पुरस्कार से सम्मानित उदयराज मिश्र को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने निःशुल्क साक्षरता अभियान में सहयोग देकर लोगों को शिक्षा से जोड़ने में योगदान दिया है। कार्यक्रम के दौरान जिले में साक्षरता अभियान को और गति देने तथा अधिक से अधिक लोगों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। उपस्थित लोगों ने 'कोई भी व्यक्ति असाक्षर न रहे' का संकल्प लेते हुए अभियान को लगातार आगे बढ़ने की बात कही। श्रावस्ती में चल रहे इस अभियान के जरिए असाक्षर लोगों को पढ़ाई से जोड़ने के साथ उन्हें अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और उपलब्ध सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।

बहराइच में दीवार तोड़कर घर में घुसे चोर

नकदी और जेवर समेत गृहस्थी का सामान ले उड़े

अमृत उजाला संवाददाता

बहराइच। कोतवाली नानपारा क्षेत्र के बैसवारा गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर दीवार तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए और कमरे में रखा नकदी, सोने-चांदी के आभूषण समेत गृहस्थी का सामान लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने घर में प्रवेश करने के लिए दीवार में सेंध लगाई। इसके बाद घर में रखे सामान को खंगाला और कीमती वस्तुओं पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के बाद चोर मौके से फरार हो गए। सुबह घटना की जानकारी होने पर घर में हड़कंप मच गया। पीड़िता पूनम देवी ने मामले की जानकारी पुलिस को देते हुए तहरीर दी और चोरी का खुलासा कर

कार्रवाई की मांग की। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के इलाके में संदिग्धों और घटना से जुड़े सुरागों की तलाश कर रही है। चोरी में कितनी नकदी और कितने मूल्य के आभूषण गए हैं, इसका पूरा आकलन भी किया जा रहा है।

घाघरा का रौद्र रूप! पहले एक्सचेंज बिल्डिंग, फिर हनुमान मंदिर नदी में समाया, अब मंदिर पर खतरा

अमृत उजाला संवाददाता

बाराबंकी। हेतमापुर में घाघरा-सरयू नदी का कटान लगातार गंभीर होता जा रहा है। बाढ़ के बीच तेज हुई कटान ने गांव की आबादी के साथ सरकारी भवनों और धार्मिक स्थलों के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है। देर रात तेज कटान के चलते एक्सचेंज बिल्डिंग देखते ही देखते नदी में समा गई। इससे पहले हनुमान मंदिर भी नदी की धारा में विलीन हो चुका है। लगातार हो रहे कटान से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अब नदी का कटान हेतमापुर स्थित बाबा नारायण दास मंदिर की ओर बढ़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक नदी की धारा मंदिर से कुछ ही मीटर की दूरी तक पहुंच गई है। किनारे तेजी से कटने के कारण मंदिर के साथ आसपास के घरों पर भी खतरा बढ़ गया है।

ग्रामीण लगातार नदी के बदलते रुख पर नजर रख रहे हैं। घाघरा नदी का कटान अब आबादी के काफी करीब पहुंच चुका है। राजू, मैकूलाल, रुखशाना, श्यामू, संतोष, उत्तम लोटन, अर्चना गुप्ता, रघुवाई, शब्बीर, द्वारिका, कल्लू प्रधान और अलीम समेत कई ग्रामीणों के मकान खतरे की चपेट में हैं। स्थिति बिगड़ती देख कई परिवार अपने स्तर पर घरों को खाली करने में जुट गए हैं। लोग मकानों को खुद तोड़कर ईंट, दरवाजे, खिड़कियां, टीन शेड और अन्य जरूरी सामान सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। जिन घरों को लोगों ने वर्षों की मेहनत और जमा पूंजी से बनाया था, उन्हें अपनी आंखों के सामने टूटता देख ग्रामीणों में मायूसी है। कटान की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। पुलिस और प्रशासन की

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने लिया जायजा

बाढ़ और कटान की जानकारी मिलने के बाद भाजपा एमएलसी अंगद सिंह, जिलाध्यक्ष राम सिंह भुल्लन, पूर्व विधायक शरद कुमार अवस्थी और जिला उपाध्यक्ष शेखर हयारण हेतमापुर पहुंचे। जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और ग्रामीणों से बातचीत की। वहीं, एसडीएम आकांक्षा गुप्ता और तहसीलदार विपुल सिंह ने भी प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और प्रभावित परिवारों को राहत किट वितरित की। प्रशासन की ओर से लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया।

यूपी के राशन कार्डधारकों के लिए बड़ी खबर

10 सितंबर से शुरू होगा मुफ्त राशन वितरण, साथ में मिलेगी चीनी भी

अमृत उजाला संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए सितंबर महीने की राशन वितरण व्यवस्था को लेकर तारीख तय हो गई है। इस बार पात्र लोगों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न के साथ चीनी का भी लाभ मिलेगा। सरकारी व्यवस्था के तहत राशन का वितरण 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर 2026 तक चलेगा। सितंबर महीने का राशन लेने के लिए लाभार्थियों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश में गुरुवार, 10 सितंबर 2026 से राशन बांटने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 25 सितंबर तक जारी रहेगी। लाभार्थियों की सुविधा के लिए दुकानों पर राशन वितरण दो समयावधि में किया जाएगा। सुबह की पाली 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगी, जबकि दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक राशन दिया जाएगा। त्योहारी सीजन के बीच यूपी के अंत्योदय कार्डधारकों के लिए इस बार राशन के साथ चीनी का प्रावधान भी किया गया है। निर्धारित वितरण के मुताबिक अंत्योदय परिवारों को कुल 35 किलो खाद्यान्न मिलेगा। इसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल शामिल हैं। इसके अलावा लाभार्थियों को 18 रुपये प्रति किलो की दर से 3 किलो चीनी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

किन परिवारों को मिलता है अंत्योदय योजना का लाभ?

अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस श्रेणी में आने वाले परिवारों को हर महीने निर्धारित मात्रा में राशन दिया जाता है। अंत्योदय कार्डधारकों के लिए प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न का प्रावधान है। हालांकि, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलता है जो सरकार द्वारा तय पात्रता मानकों को पूरा करते हैं।

सिर्फ आवेदन करने से नहीं मिलेगा अंत्योदय कार्ड

यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि अंत्योदय कार्ड के लिए आवेदन कर देना ही लाभ मिलने की गारंटी नहीं है। परिवार को योजना में शामिल करने का अंतिम निर्णय उसकी पात्रता और सरकारी सत्यापन के आधार पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में इस समय करीब 40.81 लाख अंत्योदय राशन कार्ड दर्ज बताए जा रहे हैं। ऐसे में पात्र परिवार सरकारी नियमों के अनुसार आवेदन कर योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

अंत्योदय कार्ड बनवाने के लिए क्या करना होगा?

अगर कोई परिवार अंत्योदय अन्न योजना की पात्रता पूरी करता है लेकिन अभी तक उसके पास अंत्योदय कार्ड नहीं है, तो वह राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले यह जांचना जरूरी है कि परिवार योजना की निर्धारित श्रेणी में आता है या नहीं। आवेदन के लिए आम तौर पर परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों के आधार कार्ड, निवास से संबंधित प्रमाण, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर और परिवार की फोटो जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद संबंधित राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। आवेदन मिलने के बाद विभाग परिवार की जानकारी और पात्रता की जांच कर सकता है। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी देखी जा सकती है।

श्रावस्ती में बारिश का कहर! निर्माणाधीन पुल का बाईपास बहा

अमृत उजाला संवाददाता

श्रावस्ती। इकौना क्षेत्र में लगातार बारिश के बीच सेमगढ़ा चौराहा से गोविंदपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर हालात बिगड़ गए हैं। निर्माणाधीन पुल के लिए बनाया गया अस्थायी बाईपास पानी के तेज बहाव में बह गया। इसके बाद सड़क पर जगह-जगह पानी भर गया है, जिससे राहगीरों और स्थानीय ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक इकौना क्षेत्र में सेमगढ़ा-गोविंदपुर मार्ग पर नए पुल का निर्माण कराया जा रहा है। वाहनों और राहगीरों की आवाजाही बनाए रखने के लिए विभाग की ओर से अस्थायी रास्ता तैयार किया गया था। बारिश के बाद पानी का दबाव बढ़ा तो यह बाईपास तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। बाईपास के क्षतिग्रस्त होने के बाद सेमगढ़ा चौराहा से गोविंदपुर मुख्य मार्ग पर भारी जलभराव हो गया है।

अमृत उजाला ई-पेपर
amritujala.com
का डिजिटल प्रकाशन है
प्रधान संपादक
डॉ.अखंड प्रताप सिंह
कार्यकारी संपादक
सुषमा पांडेय
सम्पर्क
editor@amritujala.com
अमृत उजाला न्यूज नेटवर्क
328 एक्सपिरियो बिल्डिंग,
विभूति खंड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010